यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

70/18 तारीखरजू:–29.10.18

उनवानः– कमल बनाम लज्जाराम वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 29.11.18 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 238 रकवा 0.28 है0 ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली की उक्त आराजी मे कब्जे काश्त मे दखल न करने के आदेश दिए जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.11.2018 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

4551-59
29/10/18

11-1-19 जनरल पेशी से पेश हुई। प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जबाब पेश करने दिनांक 8.2.19 को पेश हो।

8.2.19
पकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कानून व्यवस्था मे व्यस्त है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28.2.19 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
28-2-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी स्था॰ अधीन है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28-3-19 को पेश हो। उ॰ सीडी
28-3-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से भ्रमण पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 4-4-19 को पेश हो। उ॰ सीडी
4-4-19	वकुलाय उप०। जबाव पेश किया। शामिल जबाव की प्रति प्रार्थी वकील ने प्राप्त की। बहस दिनांक 24-4-19 को पेश हो।
24-4-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य वास्ते बाहर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 14-6-19 को पेश हो।
14-6-19	वकुलाय उप०। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि॰ 27-6-19 को पेश हो।
27-6-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 2-7-19 को पेश हो। उ॰ सीडी
2-7-19	वकुलाय उपस्थित। प्रकरण आदेश के लिए नियत है। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थी ने अपने जबाब मे भी स्वीकार किया है तथा मद नं. 5 में रजिस्ट्री निरस्त कराने का उल्लेख किया है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा कन्फर्म फरमाया जावे वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में रजिस्ट्री होना स्वीकार किया। रजिस्ट्री के समय वादी की उम्र 10 वर्ष थी पिता का शपथ पत्र पेश किया कि बडा पुत्र होने से रजिस्ट्री उसके नाम करा दी थी।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पिता ने जमीन खरीद की थी। वादी के सबसे बडा होने के कारण रजिस्ट्री उसके नाम कराई। कमल व अन्य भाई सम्मिलित रूप से काबिज है। बहस मे कहा कि कमल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम खिरखिडी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 9 मे दर्ज आराजीयात ख.नं. 238 रकबा 0.28 है०, 1364/238 रकबा 0.05 है० की खातेदारी वादी/प्रार्थी कमल s/o भम्बल के नाम दर्ज है। प्रथम दृष्टया - प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है।

सुविधा का संतुलन - प्रार्थी के रिकार्डेड खातेदार होनेसे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे भी

अपूर्तनीय क्षति - प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 29.10.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खिरखिडी की भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 0.28 है०, 1364/238 रकबा 0.05 है० में सायल के कब्जे काश्त में दखल नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 2.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner